		तारीख
	आवेदक पेश। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्रावली प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र धारा 91 खारीज किया जाता है। जिसका विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर पत्रावली दिनांक वास्ते जवाब हेतु दिनांक 24/8/23 को पेश हो। सहायक कलेक्टर आबूरोड (सिरोही)	
24/8/23	पत्रावली पेश। उपखण्ड अधि0 पत्रावली वास्ते जवाबदावा हेतु दिनांक 14/9/23 को पेश हो। सहायक कलेक्टर आबूरोड (सिरोही)	
14/9/23	पत्रावली पेश। जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 21/9/23 को पेश हो। सहायक कलेक्टर आबूरोड (सिरोही)	
21/9/23	पत्रावली पेश। उपखण्ड अधि0 उपखण्ड अधिकारी ने अपने प्रकरण में राजीनामा हो जाने से प्रकरण आगे नहीं चलाया जाने का कथन किया है जिसे स्वीकार कर अपने प्रकरण में कार्यवाही को रोक दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलेक्टर आबूरोड (सिरोही)	राजीनामा होने से नहीं चलाना चाहते हैं। जवाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Patanichamy
Date: 2023.10.03 13:24:41 IST
Reason: SelfAttested